5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(20)

(80)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर केम्प भोपाल (म.प्र.)

प्र.क. I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1302 /2018 निग.

बादामसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री रंधीरसिंह जाति यादव धंधा–कृषि निवासी ग्राम शाहपुर तेह.लटेरी जिला विदिशा (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

अभिभावक श्री शशिकान्त द्वारा आज दिनांक 01/2/18 को पेश।

अधीक्षक

–बनाम–

गंगाराम आयु 33 वर्ष पुत्र श्री गनेशा जाति अहिरवार नि.ग्राम गोलाखेड़ा तेह.लटेरी जिला विदिशा (म.प्र.)

......................प्रतिप्रार्थी / अनावेदक

<u>निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्व आदेश दि. 04.10.2017 न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्र.क. 175/ए/11–12 बादामसिंह –बनाम–गंगाराम</u>

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत हैं–

यह कि वर्ष 1999 में निगरानीकर्ता/अपीलार्थी/आवेदक बादामसिंह ने अधि.तेहसील न्याया.में एक आवेदन व्यवस्थापन बावत इस आशय का पेश किया कि ग्राम गोलाखेड़ा तेह. लटेरी स्थित भूमि कमांक 118 का कुल रकवा 6.224 हे. है जिसमें से 1.000 है पर निगरानी कर्ता/आवेदक बादामसिंह के पिता रंधीरसिंह का वर्ष 1983–84 से कब्जा चला आ रहा था एवं उसके पिता रंधीरसिंह की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी/आवेदक बादमसिंह का कब्जा भूमि सर्वे क.118 के रकवा 1.000 है. पर निरन्तर चला आ रहा है। इस कारण वह म.प्र.कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही है दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार काबिल काश्त भूमि पर व्यवस्थापन कराये जाने का पात्र है।

यह कि आवेदक द्वारा आवेदन अधिनस्थ तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायालय ने प्रकरण पंजीवद्व कर ग्राम मैं उदघोषण जारी की तामील उपरांत कोई आपत्ति नहीं आई। पटवारी से रिपोर्ट मंगबायी गई। पटवारी रिर्पोट के अनुसार उपरांत

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/विदिशा/भू0रा0/2018/1302 जिला -विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-3-18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 175/ए/11-12 में पारित आदेश दिनांक 4-10-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि व्यवस्थापन का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में उद्घोषणा का प्रकाशन विधिवत नहीं की गई है । उन्होंने अभिलेख के आधार पर यह भी पाया है कि व्यवस्थापित की गई भूमि पहाड़ चट्टान से कब काबिल काश्त घोषित की गई है यह भी स्पष्ट नहीं है । उक्त आधारों पर उन्होने तहसीलदार द्वारा किए गए व्यवस्थापन आदेश को नियम विरूद्ध मानते हुए आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । परिणामत: यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	